भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3120

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

पंजाब में बाढ़

3120. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब का आधा हिस्सा बाढ़ का सामना करता है तथा प्रतिवर्ष हजारों गांव जलमग्न हो जाते हैं, जिससे जन-धन, पशुओं और फसलों की हानि होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जल की कमी के समय पंजाब के पानी को अन्य राज्यों में मोड़ दिया जाता है और मानसून के मौसम के दौरान पंजाब में अतिरिक्त पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे अभूतपूर्व बाढ़ आती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि पंजाब के अधिकारियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अभाव और निर्णय लेने की शक्तियों में कमी के कारण विगत कुछ वर्षों के दौरान राज्य में बार-बार जल भराव/बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में ऐसी स्थितियों को विनियमित करने और उनका पूर्वानुमान लगाने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंजाब से कोई जिम्मेदार प्राधिकारी न होने के कारण पंजाब स्वयं रिकॉर्ड जलमग्नता का सामना करता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): पंजाब सहित देश में विभिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न तीव्रता की बाढ़ आती है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट "**भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का आकलन**" के अनुसार, वर्ष 1986 से वर्ष 2022 तक की अवधि के उपग्रह इमेजरी डाटा के आधार पर, पंजाब में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 0.121 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) आंका गया है और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन

के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र 3.19 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) आंका गया है। बाढ़ के कारण मानव जीवन, मवेशी और फसलों के नुकसान से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ): भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष भर मुहैया कराए जाने वाले जल को हितधारकों से युक्त एक अंतर-राज्यीय तकनीकी समिति द्वारा विनियमित किया जाता है, जो भागीदार राज्यों के बीच आम सहमति प्राप्त करने के बाद जल आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेती है। जलाशय से मुहैया कराया जाने वाल जल निर्धारित करते समय, बीबीएमबी कई प्रमुख कारकों को ध्यान में रखता है जिनमें जलाशय भंडारण की उपलब्धता, राज्यों के आवंटित हिस्से/कोटा, वर्तमान और पूर्वानुमानित जलग्रहण क्षेत्र की स्थिति, जलाशय नियम वक्र, बांध सुरक्षा संबंधी सोच विचार एवं भागीदार राज्यों द्वारा उठाए गए कोई भी विशिष्ट परिचालन के मुद्दे शामिल हैं।

बीबीएमबी, पंजाब और राजस्थान के बीच वर्ष 1959 में भाखरा नांगल परियोजना के निर्माण पर और वर्ष 1981 में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों में लागू अंतर-राज्यीय समझौतों के अनुसार भागीदार राज्यों के बीच रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल के वितरण को विनियमित करता है।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार, बीबीएमबी में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

i. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य;

ii. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि;

iii. केंद्र सरकार के दो प्रतिनिधि।

पूर्ववर्ती के अनुसार, बीबीएमबी में एक पूर्णकालिक सदस्य, अर्थात् सदस्य (विद्युत), पंजाब राज्य से नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड में पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, पंजाब राज्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, बोर्ड की निर्णय लेने की प्रक्रिया और बांध से जलाशय संचालनों तथा जल निकासी को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी तकनीकी समिति, दोनों में मौजूद है।

भागीदार राज्य बीबीएमबी की तकनीकी समिति की मासिक बैठकों के दौरान अपनी सिंचाई और घरेलू जल आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर, बीबीएमबी जलाशयों से जल निकासी को विनियमित करता है। तकनीकी समिति में भागीदार राज्यों (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) के मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विभाग के विशेष आमंत्रित प्रतिनिधि और बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं।
